कार्यालयः रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः फा.( )सविरा/बैंकिंग/ऋण माफी 18/डूंगरपुर/2019 दिनांकः 25.02.19

प्रबंध निदेशक,
राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि.,
जयपुर।
प्रबंध निदेशक,
केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.,
.....समस्त।

विषयः–राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 के त्रुटिरहित एवं सफल कियान्वयन बाबत।

जैसा कि विदित है, अल्पकालीन फसली ऋण माफीव योजना, 2018 की कियान्विति में केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. डूंगरपुर व कतिपय अन्य बैंकों के स्तर पर हुई गम्भीर अनियमितताऐं प्रकाश में आने पर प्रकरण की प्राथमिक संवीक्षा/जांच उपरान्त प्रमाणिक होना पाया गया है। मोटे तौर पर अऋणी सदस्य, असदस्यों, अपात्र, मृतक अऋणी को ऋण माफी, ऋण राशि से अधिक राशि की माफी तथा ऋण माफी के प्रमाण पत्र जारी नहीं कराया जाना आदि दुराशयपूर्ण कार्यवाही के रूप में सामने आई है जिसके फलस्वरूप राजकीय वित्तीय संसाधनों का तो दुरूपयोग हुआ ही इसके अतिरिक्त पात्र कृषकों को ऋण माफी के लाभ से वंचित होना पडा। इससे सहकारी बैंकों की साख को गहरा आघात पहुँचा है।

राज्य सरकार की महत्तवकांक्षी योजना, राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 के सफल कियान्वयन की जिम्मेदारी पुनः केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सौंपी गई है। उक्त घटनाक्रम से सबक ग्रहण करते हुए वर्तमान परिदृश्य में समस्त केन्द्रीय सहकारी बैंकों से योजना की त्रुटिरहित व सफल कियान्वयन की अपेक्षा की जाती है। निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हैः–

1. ऋण माफी योजना की कियान्विति के प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक प्रकरण का उत्कृष्ठ रूप से परीक्षण करते हुए संवीक्षा की जानी अनिवार्य है।
2. योजना के प्रावधानों का व्यापक प्रचार प्रसार कृषकों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के सन्दर्भ में किया जायेगा।
3. योजना के कियान्वयन/प्रकिया में संलग्न प्रत्येक अधिकारी/कार्मिक योजना के प्रावधानों, प्रकिया के चरण एवं अपने कर्त्तव्यों से भली भांति परिचित हो–यह सुनिश्चित किया जावे।
4. योजना 2018 के कियान्वयन में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये कार्मिकों को योजना, 2019 की प्रकिया से पृथक रखा जाये।
5. दिनांक 30.11.2018 की स्थिति के बकाया फसली ऋणों का आधार आधारित अधिप्रमाणन ऋण की सत्यता (Genuineness) की पुष्टि हेतु अनिवार्य रूप से कराया जावे। साथ ही ऋणी की पात्रता की पुष्टि भी अनिवार्य रूप से की जावे।
6. पैक्स/लैम्पस द्वारा तैयार की गई सूची एवं पोर्टल पर संधारित सूची का शत प्रतिशत सत्यापन संबंधित शाखा के ऋण पर्यवेक्षक व शाखा प्रबंधक द्वारा किया जावे, पुनः इन सूचियों की जांच विभागीय निरीक्षक (आडिट) एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से की जावे। तत्पश्चात LS, BM & HO Bank द्वारा सत्यापित की गई समस्त सूचियों की समीक्षा/टेस्ट चैकिंग बैंक स्तरीय कमेटी द्वारा की जावे।

ऋण योजना की कियान्विति में किसी भी प्रकार का व्यवधान व शंका उत्पन्न होने पर उसके समाधान हेतु शीर्ष बैंक से मार्गदर्शन लिया जावे। उक्त निर्देशों की पालना कडाई से की जावे।

(डॉ0 नीरज कुमार पवन)
रजिस्ट्रार

क्रमांकः फा.( )सविरा/बैंकिंग/ऋण माफी 18/डूंगरपुर/2019 दिनांक 25.02.19

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम/द्वितीय), सहकारी समितियां, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
4. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मोनेटरिंग), सहकारी समितियां, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
5. संयुक्त मुख्य अंकेक्षक (जनरल), प्रधान कार्यालय, जयपुर।
6. अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां.....खण्ड.....समस्त।
7. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।

643

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग)

नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम, जयपुर–302005
दूरभाष नं. 0141–2740298, 2740299 PABX-205, 208
ई–मेल आई.डी. jrbstho@gmail.com